of preference among the names included in the panel.

(iv) Appointment of experts on the various Selection Committees for teaching posts from the panel to be maintained by the University Grants Commission.

(v) Provision of a Selection Committee for non-taaching posts.

(vi) Abolition of the post of Pro-Vice-Chancellor.

(vii) Provision for the post of Finance Officer in addition to Honorary Treasurer.

The Aligarh Muslim University Act was amended in 1972 largely on the basis of the recommendations of the Gajendragadkar Committee on the Governance of Universities, which submitted its Report in July, 1971. The recommendations made by the Chatterji Committee were, however, kept in view when the Act was amended in 1972.

II. **Joint Committee**

(i) Change in the definition of the term "University" as meaning "the Aligarh Muslim University established by the Muslims of India."

(ii) The change in the powers of the University so as to provide that the University shall promote primarily the educational and cultural advancement of Muslims of India.

(iii) Appointment of the Chancellor and Pro-Vice-Chancellor through election by the Court instead of the present provision of appointment by the Visitor.

(iv) Modification of the provisions regarding establishment of the Students' Council, Students' Union or Association of Teachers, academic staff or other employees of the University.

(v) Making the Court a more representative body with larger participation in Statute-making and policy formulation

(vi) Provision for the post of Honorary Treasurer, to be elected by the Court, in addition to the existing post of Finance Officer.

(vii) Substitution of the present system of appointment of Vice-Chancellor by that prevalent in 1951.

(viii) Substitution of the principle of election by the system of proportional representation by means of single transferable vote by simple majority.

The above recommendations are being examined.

कुछ सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजा जाना

171. **श्री उग्रसेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अपने कुछ कार्यालय दिल्ली से बाहर भेजने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन कार्यालयों को बाहर भेजने के संबंध में कोई नीतियां या मापदण्ड निर्धारित किया गया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)

(क) जी, हां।

(ख) इनके ब्यौरे की जांच की जा रही है।

बीज उत्पादन

172. **श्री उग्रसेन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम देश की बीज आवश्यकता पूरा करने की स्थिति में नहीं है यदि हां, तो इस समय निगम की बीज उत्पादन क्षमता कितनी है और यह देश की मांग को कितनी सीमा तक पूरा कर रहा है;

(ख) क्या निगम ने विश्व बैंक के सहयोग से देश को उन्नत किस्म के बीजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों का मूल्यांकन कर उसे संतोषजनक रूप प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) :

(क) देश की बीज संबंधी आवश्यकताओं में प्रजनक बीच, आधारी बीज, प्रमाणित बीज और किसानों द्वारा स्वयं संवर्धित तथा प्रयोग में लाए गये बीच शामिल हैं। देश की बीज संबंधी कुल आवश्यकता को, उत्पादक, कृषि विश्वविद्यालयों जैसी कई एजेन्सियों और राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम सरकारी बीज फार्म, राज्य बीज निगम जैसे बीज उत्पादक एजेन्सियों तथा गैर-सरकारी बीज उत्पादक मिलकर संयुक्त रूप से पूरा करते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम राष्ट्रीय महत्व के बीजों की किस्में पैदा करता है। स्थानीय किस्मों के बीज आमतौर पर अन्य एजेन्सियां पैदा करती है।

वर्ष 1974-73 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम में 5 मुख्य धान्य फसलों अर्थात् गेहूं, धान, मक्का ज्वार और बाजरे के 69,500 मीटरी टन बीजों का उत्पादन किया।

(ख) भारत सरकार, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय बीज निगम की सहायता से देश की बढ़िया किस्म की बीजों की आवश्यकता को पूरा करने का एक कार्यक्रम तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के कार्य में व्यस्त है। इस कार्यक्रम में प्रजनक बीजों, आधारी बीजों और प्रमाणित बीजों का पर्याप्त उत्पादन करना और उसके लिए अपेक्षित सुविधायें प्रदान करना, बहुविध बीज उत्पादन शुरू करने के लिए राज्य बीज निगम की स्थापना करना, राज्यों में स्वतंत्र क्वालिटी कंट्रोल एजेन्सियों की स्थापना, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा समन्वित अंतर्राज्जीय विपणन करना, अपर्याप्त सप्लाई के वर्षों में कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजों के सुरक्षित भण्डार बनाना और वनस्पतियों के प्रजनक और आधारी बीजों के उत्पादन में अनुसंधान और परिक्षणों का आयोजन करने पर विचार किया गया है। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए काफी निधि देने की स्वीकृति दी है।

(ग) सरकार निगम के कार्यों का निरीक्षण करती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम बीज उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में संतोषजनक ढंग से अपना योगदान दे रहा है।

Per acre yield in India and in each State

173. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) average annual yield per acre in India as a whole and in each State during the last three years; and

(b) steps Government propose to take in increasing agricultural production in India?